

हरियाली

के लिए

मार्गदर्शी सिद्धान्त



सत्यमेय जयते

भूमि संसाधन विभाग

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भारत सरकार

अनुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ संख्या
1. प्रावक्तव्य	3
2. आमुख	5
3. प्रस्तावना	8
4. प्रयोज्यता	8
5. उद्देश्य	8
6. परियोजनाओं को स्वीकृति देना	9
7. जल संग्रहण क्षेत्रों (वाटरशेडों) के चयन के लिए मानदण्ड	9
8. जल संग्रहण क्षेत्रों में वन भूमि का विकास	9
9. परियोजना आरंभ करना	10
10. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण	10
11. ग्राम सभा की बैठकें	13
12. स्व-सहायता समूह	13
13. प्रयोक्ता समूह	13
14. वन रक्षक	13
15. सामुदायिक संघटन तथा प्रशिक्षण	13
16. जल संग्रहण विकास संबंधी कार्यकलाप	14
17. बहिर्गमन व्यवस्था	15
18. पारदर्शिता	16
19. वित्तपोषण पद्धति	16
20. किस्तें जारी करने हेतु प्रक्रिया	17
21. जल संग्रहण विकास निधि	17
22. प्रयोक्ता प्रभार	18
23. स्व-सहायता समूहों के लिए परिक्रामी निधि	18
24. कार्यक्रमों का समेकन	18
25. ऋण सुविधा	18
26. निगरानी तथा समीक्षा	18
27. जानकारी हेतु पूछ-ताछ	19
28. अनुबंध- I	20
29. अनुबंध-II	21

एम. शंकर



सत्यमेय जयते

प्राक्कथन

सचिव

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

कृषि भवन, नई दिल्ली- 110001

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों विशेषकर भूमि तथा जल संसाधनों को पुनः उपयोग उपयुक्त बनाने के लिए समुदाय आधारित जल संग्रहण (वाटरशेड) विकास अब एक दिशादर्शक सिद्धांत बन चुका है। ग्रामीण समुदायों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में इस पद्धति के महत्व को सभी लोगों ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है तथा विशेषज्ञों और व्यवहारकर्ताओं द्वारा इसका पर्याप्त रूप से समर्थन किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों से जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के लिए सरकारी सहायता की राशि काफी अधिक रही है तथा इसमें प्रति वर्ष वृद्धि हो रही है। इसके फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूप से दृष्टिगोचर और त्वरित रूप से परिणाम प्राप्त करने के लिए इन कार्यक्रमों की निरंतर निगरानी की जा रही है।

किसी भी विकासोन्मुखी कार्य की सततता को बनाए रखने के लिए लोगों की भागीदारी के महत्व को कम करके नहीं आँका जा सकता है। कोई भी जल संग्रहण विकास परियोजना सभी सतत रूप से उपयोगी बन सकती है, जब इससे संबंधित लोग परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सृजित परिसम्पत्तियों को संभालने और इनके रख-रखाव का दायित्व लेने के लिए भी तैयार होते हैं। इसे मद्देनजर रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय संगत मार्गदर्शी सिद्धान्तों को, ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक-राजनीतिक परिर्तनों के समनुरूप बनाए रखने के लिए इनमें समय-समय पर संशोधन करके जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों में सहभागिता संबंधी घटक को शामिल करने का निरन्तर प्रयास करता है।

भारत के संविधान के 73 वें तथा 74 वें संशोधन के अनुसरण में पंचायती राज संस्थाओं को बुनियादी स्तर पर विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में काफी अधिक भूमिका प्रदान की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इन संस्थाओं को आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करके इन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में यह महसूस किया गया था कि जल संग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य भूमिका प्रदान करने हेतु कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है, अतः अब इन स्थानीय निकायों को जल संग्रहण परियोजनाओं के प्रबन्धन की जिम्मेदारी सौंपने तथा तदनुसार इन्हें अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों में उपयुक्त संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की जाने की आवश्यकता है। भारत के प्रधान मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2003 को शुरू किया गया नया कार्यक्रम 'हरियाली' इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है।

इस मंत्रालय के सभी जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों में पंचायती राज संस्थाओं को मुख्य रूप से भागीदार बनाने की दृष्टि से जल संग्रहण विकास संबंधी पूर्ववर्ती मार्गदर्शी सिद्धान्तों को समुचित रूप से संशोधित करके मंत्रालय ने अब हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं। इस संबंध में मैं श्री पी.एस. राणा, अपर सचिव, श्रीमती ललिता कुमार, संयुक्त सचिव तथा भूमि संसाधन विभाग में अन्य उन अधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत ही कम समय में इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों की उपयोगिता सुनिश्चित करते हुए अन्तिम रूप दिया है।

मैं आशा करता हूँ कि हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों से जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के प्रबन्धन में एक कारगर स्थानीय स्व-शासन का एक नया युग आरंभ होगि, जिससे गाँधीजी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को साकार करने में पर्याप्त योगदान मिलेगा तथा जल संग्रहण विकास परियोजनाओं में अपेक्षित सततता सुनिश्चित होगी।

(एम. शंकर)

सचिव

पी. एस. राणा

अपर सचिव



सत्यमेव जयते

आमुख

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

एन.बी.ओ. बिल्डिंग,

निर्माण भवन, नई दिल्ली

जीवन को बनाए रखने के लिए जल एक मूलभूत आवश्यकता है। हमारे देश में जल संरक्षण के महत्व को अनादि काल से स्वीकार किया गया है जैसा कि कवि अब्दुल रहीम के निम्नलिखित दोहे से स्पष्ट है:

**‘रहिमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून
पानी गए न ऊचरे, मोती मानुष चून’**

देश में वर्षा जल को बहने से रोकने, इसका संचयन करने और पानी का उसी स्थान पर संरक्षण करने के लिए वर्षों से जल संग्रहण (वाटरशेड) पद्धति को परम्परागत रूप से प्रयोग में लाया जा रहा है। वास्तव में इस उद्देश्य को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करके तथा इसे हरा भरा बनाकर साकार किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय इन कार्यों को करने में अग्रणी है और सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरुभूमि तथा वर्षा सिंचित क्षेत्रों में जल के संचयन के प्रयोजन के लिए क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को सहभागी पद्धति से, जिसका आशय प्रयोक्ता समुदायों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है, कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) को क्रमशः वर्ष 1973-74 तथा 1977-78 में शुरू किया गया था। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) को वर्ष 1989 में आरंभ किया गया था।

यद्यपि इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अलग-अलग रूप में अभिकेन्द्रित किया गया है तथापि, इनका सामान्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के सत्र विकास के लिए भूमि और जल संसाधन का प्रबन्धन करना है। जल संग्रहण (वाटरशेड) विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों की हनुमत राव समिति (1994) की सिफारिशों के आधार पर तैयार किया गया था और इन्हें 1 अप्रैल, 1995 से लागू किया गया था। तत्पश्चात् मार्गदर्शी सिद्धान्तों को और अधिक विषय केन्द्रित, पारदर्शी तथा सरलता से अनुसरणीय बनाने के लिए अगस्त, 2001 में संशोधित किया गया था।

उपर्युक्त तीनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत जलसंग्रहण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जल संग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों में कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर विस्तृत संस्थागत संरचना, विशेष रूप से लोगों के संगठनों, जिन्हें गाँव स्तर पर जल संग्रहण संघ, जल संग्रहण समिति, स्वयं-सहायता समूह, प्रयोक्ता समूह कहा जाता है, के लिए व्यवस्था है। इस संस्थागत संरचना में ग्राम पंचायतों तथा अन्य पंचायती राज संस्थाओं को कोई मुख्य भूमिकानहीं दी गई थी, क्योंकि वर्ष 1994-95 में जल संग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों को तैयार करने के समय परंपरायती राज संस्थाओं का संरचनात्मक ढांचा इतना सशक्त नहीं था। परन्तु वर्ष 2001 में मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संशोधन के समय पर, जल संग्रहण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई थी। हालांकि, इन तीनों कार्यक्रमों के अन्तर्गत परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गाँव स्तर पर जल संग्रहण संघ तथा जल संग्रहण समिति की अवधारणा को बनाए रखा गया था।

ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं को आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक शक्तियाँ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों पर जोर देता रहा है। जल संग्रहण विकास के कार्य को उन विषयों की सूची में शामिल किया गया है जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं को सौंपा जाना है। जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जल संग्रहण संघों तथा जल

संग्रहण समितियों की संस्थागत संरचना को ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के बीच बहुत कम समन्वय होता है। ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं को अपेक्षित शक्तियाँ प्रदान किए जाने से इनके द्वारा जल संग्रहण संघों/जल संग्रहण समितियों की तुलना में बेहतर कार्य निष्पादित किए जाने की आशा की जाती है क्योंकि :-

- (i) इन्हें प्राकृतिक संसाधनों के संबंध में आयोजना हेतु सांविधिक अधिकार और लोकादेश प्राप्त हैं।
- (ii) इनको लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार योजना तैयार करने और जल संग्रहण प्रबन्धन के कार्य को अन्य व्यापक विकासात्मक कार्यकलापों में एकीकृत करने की क्षमता प्राप्त हैं।
- (iii) इन्हें समनुरूप विभागों की सेवाएं एकीकृत रूप से प्राप्त करने तथा उन पर उच्च स्तरों पर राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करने की शक्ति प्राप्त हैं।
- (iv) इन्हें स्थानीय कर या प्रयोक्ता प्रभार लगाने की शक्तियाँ प्राप्त हैं।
- (v) ये संवैधानिक उपबन्धों के अनुसार महिलाओं तथा कमज़ोर वर्गों को 'प्रतिनिधित्व' देने हेतु आरक्षण की सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अतः जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा संस्थागत ढांचे में आवश्यक परिवर्तन तथा संशोधन करना अपेक्षित है ताकि ग्रामीण विकास मंत्रालय पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने के अपने संवैधानिक दायित्व को पूरा कर सके। इसी उद्देश्य के साथ भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2003 को 'हरियाली' नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका आशय पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय के जल संग्रहण विकास संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में प्रशासनिक तथा वित्तीय, दोनों ही रूप से सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम को आरंभ करते समय प्रधान मंत्री जी ने सही कहा था कि 'देश जल की गंभीर समस्या का सामना इसलिए नहीं कर रहा है कि यहाँ पर जल के पर्याप्त स्रोत नहीं हैं या यहाँ पर वर्षा कम होती है बल्कि इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर जल का समुचित रूप से संग्रहण नहीं किया जाता है। इन्द्र देवता हम पर बहुत कृपालु रहे हैं। समस्या यह है कि हम वर्षा जल को संचित कर सकने में असमर्थ रहे हैं।' प्रधानमंत्री ने जल की प्रत्येक बूंद को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध होने और इस क्रिया को एक जुनून के रूप में विकसित करने का आहान किया था।

तदनुसार, मंत्रालय ने मौजूदा उपबन्धों को संशोधित किया है तथा नये कार्यक्रम के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किये हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त कहा जाएगा। ये मार्गदर्शी सिद्धान्त समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू. डी.पी.) सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किए गए किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए लागू होंगे। भूमि संसाधन विभाग राज्य सरकारों से इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों को पूर्ण रूप से अपनाने तथा लागू करने के लिए अनुरोध करेगा। यह आशा की जाती है कि इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों से भागीदारों को 'खेत का पानी खेत में-गाँव का पानी गाँव में, खेत की मिट्टी खेत में-गाँव की मिट्टी गाँव में' के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी और इससे देश में समृद्ध और सुन्दर ग्रामीण परिवेश की रचना के लिए आनंदोलन आरंभ होगा।

दिनांक : 8 अप्रैल, 2003

(पी.एस. राणा)
अपर सचिव

हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त (2003)

प्रस्तावना

1. भूमि संसाधन विभाग के क्षेत्र विकास कार्यक्रमों नामतः समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.पी.पी.) के अंतर्गत जल संग्रहण (वाटरशेड) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ग्रामीण समुदायों को शामिल करने के लिए “जल संग्रहण विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त” 1.4.1995 से लागू किये गये थे। तत्पश्चात् इन्हें अगस्त, 2001 में संशोधित किया गया। प्रक्रियाओं को और सरल बनाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास संबंधी कार्यकलापों की आयोजना, कार्यान्वयन तथा प्रबन्धन में पंचायती राज संस्थाओं को अधिक सार्थक रूप से शामिल करने के उद्देश्य से इन नए मार्गदर्शी सिद्धान्तों, जिन्हें हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त कहा गया है, को जारी किया जा रहा है।

प्रयोज्यता

2. उपरोक्त सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत नई परियोजनाओं को 1.4.2003 से हरियाली के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) तथा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अन्तर्गत परियोजनाएं संबंधित कार्यक्रम के अंतर्गत चयनित विकास खण्डों में कार्यान्वित की जाएंगी और समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अन्तर्गत परियोजनाएं सामान्यतः शेष विकास खण्डों में कार्यान्वित की जाएंगी। इस तिथि से पूर्व स्वीकृत की गई परियोजनाएं वर्ष 2001 के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार ही कार्यान्वित की जाती रहेंगी।

उद्देश्य

3. हरियाली के अन्तर्गत परियोजनाओं के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे :

- (i) ग्राम समुदाय के लिए आय के सतत स्रोत सृजित करने हेतु सिंचाई, वृक्षारोपण जिसमें बागवानी तथा पुष्प कृषि शामिल हैं, चरागाह विकास, मत्स्य पालन आदि के प्रयोजनों के लिए तथा पेयजल आपूर्ति के लिए वर्षा जल की प्रत्येक बूंद का संग्रह करना।
- (ii) ग्राम पंचायतों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास को सुनिश्चित करना तथा वर्षा जल के संचयन तथा प्रबन्धन के द्वारा पंचायतों के लिए आय के नियमित स्रोत सृजित करना।
- (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, गरीबी उपशमन, सामुदायिक अधिकार सम्पन्नता तथा आर्थिक संसाधनों का विकास।
- (iv) ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए फसलों, मानव और पशुधन पर सूखे और मरुस्थलीकरण जैसी भीषण जलवायु स्थितियों के प्रतिकूल प्रभावों को कम करना।
- (v) भूमि, जल, वनस्पतिक आच्छादन विशेष रूप से बागान आदि जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग, संरक्षण और विकास के द्वारा पारिस्थितिकीय संतुलन को पुनः कायम करना।
- (vi) जल संग्रहण क्षेत्र में सृजित परिस्पत्तियों के प्रबंधन एवं अनुरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों की शक्यता के विकास हेतु ग्राम समुदाय को प्रोत्साहित करना।
- (vii) ऐसे साधारण, सरल और सस्ते तकनीकी उपायों तथा संस्थागत व्यवस्थाओं, जिन्हें स्थानीय तौर पर उपलब्ध तकनीकी ज्ञान और उपलब्ध सामग्री के आधार पर उपयोग में लाया जा सके और तैयार किया जा सके, के उपयोग को बढ़ावा देना।

परियोजनाओं को स्वीकृति देना

4. भारत सरकार के भूमि संसाधन विभाग द्वारा परियोजनाएं पहले से चल रही प्रक्रिया के अनुसार स्वीकृत की जाएंगी। विभाग, समय-समय पर इस प्रक्रिया को संशोधित कर सकता है अथवा इसमें ढील दे सकता है। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के किसी उपबंध की व्याख्या के मामले में भूमि संसाधन विभाग का निर्णय अंतिम होगा। भूमि संसाधन विभाग, विशेष समस्याग्रस्त क्षेत्रों जैसे अधिक ऊँचाई

वाले क्षेत्रों, भू-स्खलन वाले क्षेत्रों, 30 डिग्री से अधिक ढलान वाली ढलानों में अथवा किसी भी अन्य विनिर्दिष्ट तकनीकी कारण से बंजरभूमि के विकास के लिए विशिष्ट परियोजनाएं स्वीकृत कर सकता है। ऐसी परियोजनाओं के संबंध में यह जरूरी नहीं है कि इन्हें सहभागिता आधार पर ही कार्यान्वित किया जाए। इन्हें गहन उपचार विशिष्ट विभागीय पद्धति के जरिए भी कार्यान्वित किया जा सकता है।

जल संग्रहण क्षेत्रों (वाटरशेडों) के चयन के लिए मानदण्ड

5. जल संग्रहण क्षेत्रों (वाटरशेडों) के चयन में साधारणतया निम्नलिखित मानदण्डों को उपयोग में लाया जाएगा :-
- (i) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जिनके विकास के लिए तथा सुजित परिसम्पत्तियों के संचालन व अनुरक्षण के लिए श्रम, नकदी, सामग्री, आदि के रूप में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित हो।
 - (ii) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जहाँ पर पेयजल की अत्यधिक कमी हो।
 - (iii) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बड़ी संख्या उन पर निर्भर हो।
 - (iv) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जिसमें वनेतर बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि की अधिकता हो।
 - (v) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जिसमें सार्वजनिक भूमि की अधिकता हो।
 - (vi) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जहाँ पर वास्तविक मजदूरी न्यूनतम मजदूरी की दर से काफी कम हो।
 - (vii) ऐसे जल संग्रहण क्षेत्र जो पहले से विकसित/उपचार किए गए अन्य जल संग्रहण क्षेत्र से सटे हों।
 - (viii) जल संग्रहण क्षेत्र का औसतन आकार 500 हैक्टेयर का होना चाहिए और उसमें अधिमान्यतः सम्पूर्ण गाँव की भूमि शामिल होनी चाहिए। परन्तु यदि वास्तविक तौर पर सर्वेक्षण करने पर जल संग्रहण के लिए उक्त क्षेत्र में कमी या अधिकता पाई जाती है, तो पूरे क्षेत्र को ही परियोजना के रूप में विकसित करने हेतु हाथ में लिया जाए।

यदि किसी जल संग्रहण क्षेत्र (वाटरशेड) में दो या अधिक गाँवों की भूमि शामिल हो तो इसे उन गाँवों तक परिसीमित गाँव-वार उप जल संग्रहण क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए। इस बात का ध्यान रख जाना चाहिए कि सभी उप जल संग्रहणों को एक साथ विकसित किया जाए।

जल संग्रहण क्षेत्रों में वन भूमि का विकास

6. कुछ जल संग्रहण क्षेत्रों में निजी स्वामित्व वाली कृषि योग्य भूमि के अलावा राज्य वन विभाग के स्वामित्व वाली वनभूमि भी शामिल हो सकती है। चूंकि प्राकृतिक रूप से किसी भी जल संग्रहण क्षेत्र के विकास के लिए वन भूमि तथा वनेतर भूमि के बीच कृत्रिम सीमा-रेखाएँ स्वीकार नहीं किया जा सकता है, अतः संपूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र को समेकित आधार पर विकसित किया जाना होता है। यद्यपि, जल संग्रहण क्षेत्र के चयन के लिए मानदण्ड में मुख्यतया वनेतर बंजरभूमि को ही प्राथमिकता दी गई है, तथापि, जल संग्रहण क्षेत्रों में शामिल वन भूमि को नीचे दिए गए मापदण्डों के अनुसार विकसित किया जाएगा :-

- (i) संबंधित वन मंडल अधिकारी द्वारा विकासात्मक योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति दी जानी चाहिए।
- (ii) जहाँ तक संभव हो विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन ग्राम पंचायत के घनिष्ठ समन्वय के साथ ग्राम वन समितियों द्वारा किया जाना चाहिए।
- (iii) वन क्षेत्रों के लिए लघु (माझक्रो) जल संग्रहण विकास योजना वन संरक्षण अधिनियम तथा क्षेत्र के लिए अनुमोदित कार्य योजना के अनुरूप होनी चाहिए।
- (iv) जहाँ पर जल संग्रहण क्षेत्र का बड़ा भाग वनभूमि के रूप में हो वहाँ पर जिला स्तर पर वन विभाग को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में विकास कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
- (v) जहाँ कहीं भी जल संग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत वनभूमि शामिल हो वहाँ वन विभाग के एक अधिकारी को जल संग्रहण विकास दल के सदस्य के रूप में अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए।

परियोजना आरंभ करना

7. परियोजना की स्वीकृति की तारीख सभी प्रयोजनों के लिए परियोजना आरंभ करने की तारीख होगी। परियोजना इसकी स्वीकृति की तारीख से पाँच वर्षों की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी।

8. इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत परियोजनाएं मुख्यतः जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के जरिए कार्यान्वित की जाएंगी। तथापि, जहाँ कहीं भी कार्यक्रमों के हित में ऐसा करना उचित हो, तो परियोजनाएं भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार के किसी विभाग अथवा केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी स्वायत्तशासी अभिकरण के जरिए कार्यान्वित की जा सकती हैं।

परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण

9. जिला स्तर पर जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राज्य सरकार तथा भारत सरकार के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के अन्तर्गत सभी क्षेत्र विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रक (नॉडल) प्राधिकरण होगा। यह केन्द्रक प्राधिकरण जल संग्रहण क्षेत्रों के चयन, परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों की नियुक्ति को अनुमोदित करेगा तथा परियोजनाओं की कार्य योजना/विकास योजना आदि को भी अनुमोदित करेगा। जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक अधिकारी/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का परियोजना निदेशक जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के लेखों का हिसाब रखेगा और उपयोग प्रमाण-पत्रों, लेखों के लेखापरीक्षित विवरणों, प्रगति रिपोर्टों, बंध पत्रों आदि जैसे सभी सांविधिक कागजात पर हस्ताक्षर करेगा।

10. यदि परियोजना का कार्यान्वयन उचित रूप से नहीं किया जाता है या निधियों का दुरुपयोग किया जाता है अथवा निधियों को इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार खर्च नहीं किया जाता है तो जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को किसी भी संस्था/संगठन/व्यक्ति से निधियाँ वसूल करने तथा कानून के तहत उपयुक्त कार्यवाही का अधिकार प्राप्त होगा।

11. ग्राम पंचायतें परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पी.आई.ए.) के समग्र पर्यवेक्षक तथा मार्गदर्शन के अन्तर्गत परियोजनाएं कार्यान्वित करेंगी। किसी एक ब्लॉक/तालुक के लिए स्वीकृत की गई सभी परियोजनाओं के लिए विकास खण्ड (मध्यवर्ती) पंचायत परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण हो सकती है। यदि ये पंचायतें इस स्थिति में नहीं हों तो जिला परिषद स्वयं परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में कार्य कर सकती है या किसी उपयुक्त समनुरूप विभाग जैसे कृषि, वानिकी/सामाजिक वानिकी, भूमि संरक्षण विभाग आदि को या राज्य सरकार के किसी अभिकरण/विश्वविद्यालय/संस्थान को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नियुक्त कर सकती है। इन विकल्पों के उपलब्ध नहीं होने पर जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जल संग्रहण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अथवा संबंधित क्षेत्र विकास कार्यों को करने में पर्याप्त अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले जिले के किसी प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठन को, इसकी विश्वसनीयता की पूरी तरह जाँच करने के पश्चात् परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नियुक्त करने पर विचार कर सकता है। तथापि, राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाने तथा उन्हें सक्षम बनाने का प्रयास करना चाहिए ताकि वे अन्ततः जल संग्रहण विकास परियोजनाओं को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के रूप में स्वतंत्र रूप से कार्यान्वित करने के उत्तरदायित्व का निर्वाह करने की स्थिति में हो सकें। किसी एक गैर सरकारी संगठन परियोजना कार्यान्वय अभिकरण को सामान्यतः 5000-6000 हैक्टेयर क्षेत्रफल की 10-12 जल संग्रहण विकास परियोजनाएं सौंपी जाएंगी। तथापि, अपवादात्मक तथा उचित मामलों में किसी एक गैर-सरकारी संगठन-परियोजनाओं सहित एक समय पर अधिकतम 12000 हैक्टेयर क्षेत्र तथा राज्य में अधिकतम 25000 हैक्टेयर क्षेत्र को विकसित करने का कार्य सौंपा जा सकता है।

12. कोई भी गैर-सरकारी संगठन परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में चयन किए जाने के लिए तभी पात्र होगा यदि वह जल संग्रहण के विकास के क्षेत्र में अथवा ग्रामीण क्षेत्रों में किन्हीं समनुरूप क्षेत्र विकास कार्यकलापों में कुछ वर्षों से सक्रिय रूप से कार्यरत हो। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में किसी संस्था का चयन करते समय गत तीन वर्षों में उस संस्था द्वारा उपयोग में लाई गई निधियों की मात्रा को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कपार्ट अथवा राज्य सरकार एवं

भारत सरकार के अन्य विभागों द्वारा काली सूची में रखे गए गैर-सरकारी संगठनों को परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण के रूप में नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए।

13. परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पी.आई.ए.) ग्राम पंचायत को ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन प्रक्रिया के जरिए जल संग्रहण हेतु विकास योजनाएं तैयार करने के लिए आवश्यक तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करायेगा। ग्राम समुदायों को संगठित करने और उन्हें प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने, जल संग्रहण विकास कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करने, परियोजना लेखों की जाँच करने तथा उन्हें प्रमाणित करने, कम लागत वाली तथा स्वदेशी तकनीकी जानकारी के आधार पर तैयार प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु उन्हें प्रोत्साहित करने का दायित्व भी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण का ही होगा। इसके अलावा, परियोजना के समग्र कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करने तथा परियोजना अवधि के दौरान सृजित परिसम्पत्तियों के परियोजना पूरी होने के पश्चात् संचालन तथा रख-रखाव एवं इनका आगे और विकास के लिए संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने का उत्तरदायित्व भी परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण का ही होगा।

14. जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सामान्यतः जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों के तहत परियोजनाएं आरंभ करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण की उपयुक्तता या उसकी अनुपयुक्तता के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा। तथापि, राज्य सरकार किसी भी परियोजना में परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को विशिष्ट कारणों के आधार पर भूमि संसाधन विभाग, भारत सरकार की पूर्व सहमति से बदलने पर विचार कर सकती है।

15. प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, अपने कर्तव्यों को 'जल संग्रहण विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.)' नामक एक बहुआयामी दल के जरिए पूरा करेगा। प्रत्येक जल संग्रहण विकास दल में कम से कम चार सदस्य होने चाहिए जिनमें वानिकी/पादप विज्ञान पशु विज्ञान, सिविल/कृषि इंजीनियरी एवं सामाजिक विज्ञान के विषयों से एक-एक सदस्य होगा। जल संग्रहण विकास दल में कम से कम एक सदस्य महिला होनी चाहिए। जल संग्रहण विकास दल के सदस्य के लिए अधिमान्य योग्यता एक व्यावसायिक डिग्री होनी चाहिए। तथापि, अभ्यर्थी के संबंधित विषय में व्यावहारिक तौर पर क्षेत्र अनुभव को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त मामलों में जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अर्हता में छोट दी जा सकती है। जल संग्रहण विकास दल के एक सदस्य को परियोजना प्रमुख के रूप में पदनामित किया जाएगा। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि यदि वह चाहे तो इस कार्य के लिए पूर्णतया अपने कर्मचारियों को लगा सकता है अथवा सेवा-निवृत्त कार्मिकों सहित नए अभ्यर्थियों की भर्ती कर सकता है अथवा सरकार या अन्य संगठनों से कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर ले सकता हो। जल संग्रहण विकास दल का कार्यालय मासमन्त्या परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों के परिसर/ब्लॉक मुख्यालयों के स्थान पर/चयनित गाँवों के समूह के निकट स्थित किसी अन्य नगर में स्थित होगा। जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों को मानदेय अनुबंध- 1 में दिए गए अनुसार प्रशासनिक लागत में से अदा किया जाएगा।

16. चयन किए गए परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण, विशेषरूप से समनुरूप विभागों जैसे कृषि, भूमि संरक्षण, वानिकी आदि के मामले में, विशेषज्ञता से संबंधित कुछेक कार्यकलापों पर अत्यधिक जोर देने की प्रवृत्ति से बचने की दृष्टि से जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिला और ब्लॉक स्तरों पर विभिन्न समनुरूप विभागों से उस विषय के विशेषज्ञों को योजनाएं तैयार करने में शामिल किया जाये।

17. ग्राम पंचायतें परियोजनाओं के सभी कार्यों को ग्राम सभा के मार्गदर्शन तथा नियंत्रण के तहत कार्यान्वित करेंगी। जिन राज्यों में वार्ड सभाएं (पल्ली सभाएं आदि) हैं और विकसित किया जाने वाला क्षेत्र उस वार्ड के अन्तर्गत आता है, वहाँ पर वार्ड सभा (पल्ली सभा) भी ग्राम सभा के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकती है।

18. छठी अनुसूची में शामिल क्षेत्रों, जहाँ ग्राम पंचायतों के स्थान पर पारंपरिक ग्राम परिषदें कार्य करती हैं, वहाँ पर इन परिषदों को ग्राम पंचायतों/ग्राम सभाओं के उत्तरदायित्व सौंपे जा सकते हैं। उन मामलों में जहाँ पर न तो ग्राम पंचायत है और नहीं पारंपरिक ग्राम परिषद है, वहाँ पर जल संग्रहण मार्गदर्शी सिद्धान्तों (2001) के मौजूदा उपबन्ध लागू होंगे।

19. ग्राम पंचायत परियोजना के निर्विघ्न कार्यान्वयन के लिए जल संग्रहण विकास दल तथा जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के साथ समन्वय तथा सम्पर्क रखने के लिए उत्तरदायी होगी। यह जल संग्रहण विकास कार्यों को करने तथा इसके लिये भुगतान करने हेतु स्व-उत्तरदायी होंगी।

20. ग्राम पंचायत जल संग्रहण परियोजना के लिए एक अलग खाता रखेगी। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण से परियोजना के लिए प्राप्त सभी धन राशि को इस खाते में जमा किया जाएगा। इस खाते का संचालन ग्राम पंचायत सचिव तथा ग्राम पंचायत अध्यक्ष द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत तथा ग्राम सभा की बैठकें आयोजित करने तथा उनके निर्णयों पर कार्यवाही करने के लिए उत्तरदायी होगा। वह परियोजना संबंधी कार्यकलापों के सभी अभिलेखों तथा लेखाओं को रखेगा। यदि आवश्यक हो तो ग्राम पंचायत जल संग्रहण परियोजना की कार्य योजना/विकास योजना के अनुसार कार्यकलापों को कार्यान्वित करने में सचिव, ग्राम पंचायत को सहायता देने के लिए दो या तीन स्वयंसेवकों को नियुक्त कर सकती है। स्वयंसेवकों को मानदेय अनुबंध- 1 में दिए गए अनुसार दिया जाएगा।

ग्राम सभा की बैठकें

21. ग्राम सभा जल संग्रहण विकास की आयोजना को अनुमोदित करने/इसमें सुधार करने, इसकी प्रगति की निगरानी तथा समीक्षा करने, लेखों के विवरण को अनुमोदित करने, प्रयोक्ता समूहों/स्वसहायता समूहों को गठित करने, विभिन्न प्रयोक्ता समूहों एवं स्व-सहायता समूहों, समूहों के सदस्यों के बीच के मतभेदों/विवादों का निपटान करने, सार्वजनिक/स्वैच्छिक दान लेने तथा समुदाय एवं निजी सदस्यों से अंशदान को एकत्रित करने की व्यवस्था को अनुमोदित करने, सृजित की गई परिसम्पत्तियों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने तथा उन कार्यों को अनुमोदित करने के लिए जिन्हें जल संग्रहण विकास कोष में उपलब्ध धन से कार्यान्वित किया जा सकता है, वर्ष में कम से कम दो बैठकें आयोजित करेगी।

स्व सहायता समूह

22. ग्राम पंचायत जल संग्रहण क्षेत्र में जल संग्रहण विकास दल की सहायता से भूमिहीन सम्पत्तिहीन गरीबों, कृषि श्रमिकों, महिलाओं, चारावाहों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों तथा इस प्रकार के अन्य लोगों में से स्व-सहायता समूह गठित करेगी। ये समूह एक समान पहचान और हित रखने वाले होंगे, जो अपनी आजीविका के लिए जल संग्रहण क्षेत्र पर निर्भर हैं। महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए अलग से स्व-सहायता समूह गठित किए जाने चाहिए।

प्रयोक्ता समूह

23. ग्राम पंचायत जल संग्रहण क्षेत्र में जल संग्रहण विकास दल की सहायता से प्रयोक्ता समूह भी गठित करेगी। ये समूह एक समान समूह होंगे और इनमें वे लोग शामिल होंगे जो जल संग्रहण संबंधी प्रत्येक कार्य/गतिविधि से प्रभावित होते हैं तथा इनमें वे लोग भी शामिल होंगे जो जल संग्रहण क्षेत्रों में भूमि रखते हैं। प्रत्येक प्रयोक्ता समूह में ऐसे भूमिधारी शामिल होंगे, जिन्हें विशेष जल संग्रहण कार्य या गतिविधि से प्रत्यक्ष लाभ होने की संभावना हो। प्रयोक्ता समूह परियोजना के तहत सृजित सभी परिसम्पत्तियों के संचालन तथा अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे, जिनसे वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यक्तिगत तौर पर लाभ प्राप्त करते हैं।

वन रक्षक

24. सार्वजनिक/सामुदायिक/पंचायत की भूमि पर किए गए वृक्षारोपण की देखभाल करने के लिए ग्राम पंचायतें गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों से स्थानीय बेरोजगार युवकों को मानदेय के आधार पर 'वन रक्षक' के रूप में कार्य लगा सकती हैं, जिन्हें मानदेय का भुगतान अनुबंध - 1 में निर्धारित किए गए अनुसार प्रशासनिक लागत में से किया जाएगा। वन रक्षकों तथा स्वयंसेवकों को ग्राम पंचायत/परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण/जिला परिषद/राज्य सरकार/भारत सरकार का कर्मचारी नहीं माना जाएगा। पौधों की उत्तरजीविता दर को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत वन रक्षकों के मानदेय को बढ़ा या कम कर सकती है। ग्राम पंचायतें इन वन रक्षकों के लिए भोगाधिकारों को भी सुनिश्चित करेंगी।

सामुदायिक संघटन तथा प्रशिक्षण

25. जल संग्रहण परियोजनाओं में विकास कार्य आरंभ करने हेतु सामुदायिक संघटन तथा प्रशिक्षण पूर्व अपेक्षाएँ हैं। जिला, ब्लॉक तथा गाँव स्तर पर सभी संबंधित कार्यकर्ताओं तथा चुने गए प्रतिनिधियों को, उनके द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को ग्रहण किए जाने से पूर्व जल संग्रहण परियोजना प्रबंधन के संबंध में उन्हें पहले से ही सुग्राह्य बनाने तथा पूर्णतया जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। यदि

जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण/समनुरूप विभाग/परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण है तो वह सामुदायिक संघटन तथाप्रशिक्षण के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल कर सकता है। इसके लिए जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की स्वीकृति ली जानी चाहिए।

जल संग्रहण विकास संबंधी कार्यकलाप

26. जल संग्रहण क्षेत्रों के बुनियादी स्तर पर (बेन्च मार्क) सर्वेक्षण से और विस्तृत ग्रामीण सहभागिता मूल्यांकन से प्राप्त हुई सूचना के आधार पर, कार्ययोजना/जल संग्रहण विकास योजना तैयार करने के लिए ग्राम सभा/वार्ड सभा बैठक आयोजित की जाएगी। सामान्य विचार-विमर्श के पश्चात्, ग्राम पंचायत जल संग्रहण विकास दल के मार्गदर्शन के तहत जल संग्रहण क्षेत्र के समेकित विकास के लिए एक विस्तृत कार्य योजना/ विकास योजना तैयार करेगी और इसे परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को प्रस्तुत करेगी। जल संग्रहण विकास दल द्वारा कार्ययोजना/जल संग्रहण विकास योजना तैयार करने तथा उसे अन्तिम रूप देने के लिए भूमि और जल संसाधन विकास से संबंधित विभिन्न विषयमूलक मानचित्रों को उपयोग में लाया जाना चाहिए। इस कार्ययोजना में सर्वेक्षणों की संख्या से संबंधित विशिष्ट जानकारी, स्वामित्व संबंधी व्यौरे और प्रस्तावित कार्य/गतिविधियों के स्थान को दर्शाने वाले एक मानचित्र सहित जल संग्रहण क्षेत्र का स्पष्टतः परिसीमन किया जाना चाहिए। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण (पी.आई.ए.) ध्यानपूर्वक संवीक्षा करने के पश्चात् जल संग्रहण विकास के लिए कार्य योजना को स्वीकृति योजना, जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा निधियाँ जारी करने, निगरानी रखने, समीक्षा करने, मूल्यांकन करने आदि के लिए आधार होगी। कार्ययोजना/जल संग्रहण विकास योजना अवक्रमित वन भूमि, सरकारी और सामुदायिक भूमि तथा निजी भूमि सहित सभी कृषि योग्य और कृषि के लिए अयोग्य भूमि के लिए तैयार की जानी चाहिए। वे मर्दें, जिन्हें अन्य बातों के साथ-साथ कार्ययोजना/जल संग्रहण विकास योजना में शामिल किया जा सकता है, निम्नानुसार हैं :-

- (i) कृषि उत्पादन हेतु कम लागत वाले तालाब, नालों पर बांध, रोक बांध और रिसने वाले टैंक आदि जैसी लघु जल संचयी संरचनाओं का विकास और भू-जल की पुनः भराई हेतु अन्य उपाय करना।
- (ii) पीने के लिए/सिंचाई/मत्स्य विकास के लिए पानी उपलब्ध कराने हेतु जल स्रोतों का नवीकरण और उनका विस्तार तथा गाँव के तालाबों की सफाई करना।
- (iii) गाँव के तालाबों/टैंकों, फार्म तालाबों आदि में मत्स्यपालन।
- (iv) ब्लॉक पौध रोपण, कृषि वानिकी तथा बागवानी विकास, आड़ पट्टियों (शैल्टर बैल्ट) में वृक्षारोपण, रेत के टिलों के स्थिरीकरण आदि सहित वनीकरण।
- (v) चरागाहों का विकास या तो अलग से या वृक्षारोपण के संयोजन से।
- (vi) पहाड़ी क्षेत्र में समोच्च और समस्तरीय बांध, जिन्हें पौधों को लगाकर और भूमि को सीढ़ीदार बनाकर मजबूत किया जा सकता है। चारे, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, बागवानी और गैर इमारती लकड़ी, वनीय उत्पाद प्रजातियों के लिए पौध संवर्धन के लिए उद्यान क्षेत्र विकसित करने जैसे यथा स्थान मृदा और नमी संरक्षण उपायों सहित भूमि विकास।
- (vii) वानस्पतिक और इंजीनियरी संरचनाओं के संयोजन से जल निकास पद्धति के आधार पर विकास।
- (viii) जल संग्रहण क्षेत्र में मौजूदा सार्वजनिक परिसम्पत्तियों और संरचनाओं की मरम्मत, पुनर्निर्माण तथा सुधार करना ताकि पहले किए गए सार्वजनिक निवेश से अधिकतम और सतत रूप से लाभ प्राप्त किया जा सके।
- (ix) नई फसलों/किस्मों अथवा नवीन प्रबंध प्रक्रियाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए फसल प्रदर्शन।
- (x) अपारम्परिक ऊर्जा बचत उपायों और ऊर्जा संरक्षण उपायों, बॉयो-ईंधन वृक्षारोपण आदि को बढ़ावा देना और प्रचार करना।

जल संग्रहण विकास दल को कार्ययोजना/जल संग्रहण विकास योजना तैयार करते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि परियोजना कार्यों में केवल कम लागत वाली, स्थानीय तौर पर उपलब्ध ऐसी प्रौद्योगिकियों ओर सामग्री का उपयोग किया जाए, जो सरल हों और जिनका प्रचालन और अनुरक्षण आसानी से किया जा सके। वानस्पतिक उपायों पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। अधिक लागत वाली निर्माण सामग्री/सीमेंट के कार्यों, मशीनरी के इस्तेमाल से परहेज करना चाहिए।

27. जल संग्रहण विकास योजना तैयार करते समय, ग्राम पंचायतों द्वारा वर्षा जल का संचयन करने संबंधी कार्यकलापों पर जोर दिया जाना चाहिए तथा सामुदायिक और निजी भूमि पर व्यापक तौर पर पौधरोपण के कार्यों को किया जाना चाहिए। निजी भूमि मुख्य रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लागों की तथा छोटे/सीमान्त किसानों की होना चाहिए। मुख्य रूप से रोजगार और आय सृजित करने संबंधी ऐसे कार्यकलापों पर जोर दिया जाना चाहिए जिनसे जल संग्रहण परियोजना क्षेत्र में ग्रामीण गरीब लाभान्वित हो सकें। एकत्रित किए गए वर्षा जल को मत्स्य पालन जैसे आय सृजित करने संबंधी कार्यकलापों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है।

28. विस्तृत कार्य योजना तैयार करते समय, सम्पूर्ण जल संग्रहण क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक एवं सतत रूप से उपयोगी अन्तः कार्य (इन्टरवेंशंस) के लिए जल संग्रहण विकास दल द्वारा समुचित जैव-भौतिकीय (बायोफिजिकल) उपायों की तकनीकी अपेक्षाओं और व्यावहारिकता का भी ध्यानपूर्वक पता लगाना होता है। कार्ययोजना में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित बातें भी विनिर्दिष्ट होनी चाहिए :-

- (i) परियोजना के अन्तर्गत (वर्ष-वार) प्राप्त किए जाने वाले वास्तविक लक्ष्य तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यकलाप संबंधी रूपरेखा;
- (ii) प्रत्येक कार्यकलाप के लिए निश्चित समय-अवधि;
- (iii) प्रस्तावित कार्यकलापों के लिए प्रौद्योगिकीय क्रियाएँ (इन्टरवेंशंस);
- (iv) प्रत्येक कार्यकलाप के लिए विशिष्ट सफलता मानदण्ड; और
- (v) एक स्पष्ट बहिर्गमन व्यवस्था (एक्जिट प्रोटोकॉल)

जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा विस्तृत कार्ययोजना अनुमोदित किए जाने के पश्चात् इसे जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों के सक्रिय सहयोग और देख-रेख के अन्तर्गत ग्राम पंचायत के जरिए कार्यान्वित करवाना परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण का उत्तरदायित्व होगा।

बहिर्गमन व्यवस्था

29. विस्तृत कार्ययोजना/विकास योजना तैयार करते समय ग्राम सभा/ग्राम पंचायत, जल संग्रहण विकास दल (डब्ल्यू.डी.टी.) के तकनीकी मार्गदर्शन के अन्तर्गत जल संग्रहण विकास परियोजना के लिए उचित बहिर्गमन व्यवस्था (एक्जिट प्रोटोकॉल) तैयार करेगी। बहिर्गमन व्यवस्था में प्रयोक्ता प्रभारों के उद्ग्रहण और वसूली, जल संग्रहण विकास निधि के उपयोग आदि सहित सृजित की गई परिसम्पत्तियों के रख-रखाव और संवर्धन के लिए एक क्रियाविधि विनिर्दिष्ट की जाएगी। बहिर्गमन व्यवस्था में जल संग्रहण विकास परियोजना के अंतर्गत प्राप्त किए गए लाभों के एक समान वितरण और सततता बनाए रखने हेतु क्रियाविधि का भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। जल संग्रहण क्षेत्र के लिए कार्य योजना को अनुमोदित करते समय जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी बहिर्गमन व्यवस्था के संबंध में विस्तृत क्रियाविधि कार्य योजना/विकास योजना के एक भाग के रूप में शामिल है।

पारदर्शिता

30. विभिन्न अभिकरणों द्वारा कार्यक्रम के अन्तर्गत पारदर्शिता को निम्नानुसार बढ़ावा दिया जाएगा :-

- ग्राम पंचायत द्वारा जल संग्रहण के लिए कार्ययोजना को जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों के सहयोग से तथा स्व-सहायता समूहों/प्रयोक्ता समूहों के साथ परामर्श करके तैयार करना।

- कार्य योजना को ग्राम सभा की खुली बैठकों में स्वीकृति देना।
- अनुमोदित कार्य योजना को ग्राम पंचायत कार्यालय, गाँव सामुदायिक भवन और ऐसे अन्य सामुदायिक भवनों के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना।
- ग्राम सभा की आवधिक बैठकों में कार्यान्वयन संबंधित कार्य की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा करना।
- श्रमिकों को सीधे और जहाँ कहीं भी संभव हो, चैक द्वारा भुगतान करना।

वित्तपोषण पद्धति

31. वर्तमान लागत मानदण्ड 6000/- रुपये प्रति हैक्टेयर है। इस राशि को निम्नलिखित परियोजना संघटकों के बीच प्रत्येक के सामने उल्लेख की गई प्रतिशतता के अनुसार विभाजित किया जाएगा :-

(i) जल संग्रहण उपचार/विकास कार्य/गतिविधियाँ	85%
(ii) सामुदायिक संघटन और प्रशिक्षण	5%
(iii) प्रशासनिक व्यय	10%

योग 100%

प्रशासनिक लागतों में यदि कोई बचत हो तो उसे अन्य दो शीर्षों अर्थात् प्रशिक्षण और जल संग्रहण कार्यों के अन्तर्गत कार्यकलाप करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, परन्तु अन्य दोनों शीर्षों के अन्तर्गत बचत की राशि को इस शीर्ष के अन्तर्गत उपयोग में नहीं लाया जाएगा। प्रशासनिक लागतों के तहत वाहनों, कार्यालय उपकरणों, फर्नीचर आदि को क्रय करने, भवनों का निर्माण करने और सरकारी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने हेतु व्यय किए जाने की अनुमति नहीं होगी।

32. जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य लागत मानदण्ड अनुबंध-1 में दिए गए अनुसार होंगे। कार्य की प्रत्येक मद और परियोजना संबंधी कार्यकलाप के लिए लागत अनुमान संबंधित कार्य क्षेत्रों में राज्य सरकारों द्वारा यथा अनुमादित मानक दर सूची (एस.एस.आर.) के अनुसार कराये जाएंगे।

किस्तें जारी करने हेतु प्रक्रिया

33. निधियों के केन्द्रीय भाग को जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को पाँच वर्षों की अवधि में पाँच किस्तों में जारी किया जाएगा। राज्यों द्वारा भी अपना सदृश भाग जिला परिषदों/जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों को तदनुसार जारी किया जाएगा। इन किस्तों का व्यौरा अनुबंध-2 में दिया गया है।

34. केन्द्रीय निधियों की पहली किस्त परियोजना की स्वीकृति के साथ-साथ ही जारी की जाएगी, परन्तु आगे की किस्तें तभी जारी की जाएंगी जब उपयोग न की गई शेष राशि, जारी की गई पिछली किस्त की राशि के 50% से अधिक न हो। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा किस्तों से संबंधित प्रस्ताव तिमाही प्रगति रिपोर्टों और पिछले वर्ष के लेखां-परीक्षित विवरण सहित भूमि संसाधन विभाग को राज्य सरकार के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी किस्त जारी करने हेतु प्रस्ताव के साथ, विकास हेतु लिए गए क्षेत्र का संबंधित गाँव-वार व्यौरा, परियोजना की रूपरेखा, जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा अनुमोदित कार्य योजना और यथावश्यकतानुसार माँगे गए अन्य दस्तावेज संलग्न किए जाएंगे। जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों और ग्राम पंचायतों को निधियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से इनके प्राप्त होने पर 15 दिनों के भीतर जारी की जाएंगी।

35. परियोजना निधियों का 45% भाग दो किस्तों में प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार, भूमि संसाधन विभाग की अपेक्षित स्वीकृति के साथ इसके द्वारा बनाए गए मूल्यांकनकर्ताओं के पैनल में से किसी एक स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा जल संग्रहण विकास परियोजना का मध्यावधिक मूल्यांकन करवाएगी। केन्द्रीय निधियों की तीसरी किस्ते को ऊपर विनिर्दिष्ट की गई अन्य सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के अलावा संतोषजनक मध्यावधिक मूल्यांकन रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही जारी किया जाएगा। राज्य सरकार परियोजना के पूरा होने पर एक अंतिम मूल्यांकन भी कराएगी और इस संबंध में रिपोर्ट परियोजना पूरी होने संबंधी रिपोर्ट के साथ भूमि संसाधन विभाग को प्रस्तुत करेगी।

जल संग्रहण विकास निधि

36. जल संग्रहण विकास कार्यक्रमों में गाँवों के चयन के लिए एक अनिवार्य शर्त जल संग्रहण विकास निधि (डब्ल्यू.डी.एफ.) में लोगों द्वारा अंशदान करना है जल संग्रहण विकास निधि में अंशदान लोगों की निजी भूमि पर किए गए कार्य की लागत के कम से कम 10% की दर से किया जाएगा। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के मामले में न्यूनतम अंशदान उनकी भूमि पर किए गए कार्य की लागत के 5% की दर से किया जाएगा। सामुदायिक सम्पत्ति के संबंध में निधि के लिए अंशदान सभी लाभार्थियों से प्राप्त किया जा सकता है, जो व्यय की गई विकास लागत का न्यूनतम 5% की दर से हागा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अंशदान लाभ प्राप्त करने वाले किसानों से प्राप्त किया जाए और इसे श्रमिकों को अदा की गई मजदूरी से नहीं काटा जाए। यह अंशदान नकद रूप में/स्वैच्छिक श्रम के रूप में अथवा सामग्री के रूप में स्वीकार्य होगा। स्वैच्छिक श्रम और सामग्री के मूल्य के बराबर राशि जल संग्रहण परियोजना खाते से ली जाएगी और इस निधि में जमा करवा दी जाएगी। ग्राम पंचायत जल संग्रहण विकास निधि का खाता अलग से रखेगी। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सचिव जल संग्रहण विकास निधि के खाते को संयुक्त रूप से संचालित करेंगे। अलग-अलग व्यक्तियों और धर्मार्थ संस्थाओं को इस निधि में भरपूर अंशदान करने हेतु प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस निधि में प्राप्तियों को परियोजना अवधि समाप्त होने के बाद सामुदायिक भूमि पर अथवा सार्वजनिक उपयोग के लिए सृजित की गई परिसम्पत्तियों को बनाए रखने के लिये उपयोग में लाया जाएगा। व्यक्तिगत लाभ हेतु किए गए कार्यों में मरम्मत/रख-रखाव के कार्य पर व्यय इस निधि से नहीं किया जाएगा।

प्रयोक्ता प्रभार

37. ग्राम पंचायत द्वारा गाँव के टैंकों/तालाबों से सिंचाई हेतु पानी लेने, सामुदायिक चरागाहों में पशुओं को चराने आदि जैसी सामान्य सुविधाओं के उपयोग के लिए प्रयोक्ता समूहों पर प्रयोक्ता प्रभार लगाया जाएगा। इस प्रकार एकत्रित किए गए प्रयोक्ता प्रभारों का आधा भाग परियोजनाओं की परिसम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए जल संग्रहण विकास निधि में जमा कराया जाएगा और शेष आधा भाग पंचायत द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए जैसाकि उचित समझा जाए, उपयोग में लाया जा सकता है।

स्व-सहायता समूहों के लिए परिक्रामी निधि

38. ग्राम पंचायत आय अर्जन संबंधी कार्यकलाप आरंभ करने हेतु एक लाख रुपये से अधिक राशि की परिक्रामी निधि स्थापित करेगी जिसे स्व-सहायता समूहों को व्यावसायिक विकास के लिए मूल राशि (सीड मनी) के रूप में दिया जाएगा। प्रत्येक स्व-सहायता समूह को यह राशि 10,000/- रुपये से अनधिक दर पर मुहैया करायी जाएगी। स्व-सहायता समूह के सदस्यों से यह मूल धनराशि मासिक आधार पर अधिक से अधिक 6 किस्तों में वापस ली जाएगी। इस राशि को उसी या अन्य स्व-सहायता समूहों में पुनः निवेश किया जा सकेगा।

कार्यक्रमों का समेकन

39. जल संग्रहण विकास कार्यक्रम का लक्ष्य जल संग्रहण क्षेत्रों का समग्र रूप से विकास करना है। भारत सरकार के सभी कार्यक्रमों, विशेष रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रमों का समेकन किए जाने से अन्तिम अभीष्ट लक्ष्य प्राप्ति में वृद्धि होगी तथा इससे ग्रामीण विकास समुदाय का सतत रूप से आर्थिक विकास सुनिश्चित होगा। अतः जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चुने गए गाँवों में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अन्य सभी कार्यक्रमों जैसे सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.), स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), इन्दिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.), सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) तथा ग्रामीण पेयजल की आपूर्ति कार्यक्रम का समेकन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा।

इन गाँवों में अन्य मंत्रालयों अर्थात् स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, शिक्षा, सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता और कृषि मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा चलाए जा रहे समान स्वरूप के कार्यक्रमों का समेकन करना भी उपयोगी रहेगा।

ऋण सुविधा

40. जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए सामान्य लागत मानदण्ड अनुबंध-1 में दिए गए अनुसार रहेंगे। तथापि, जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जल संग्रहण क्षेत्रों में आगे और विकासात्मक कार्य करने के लिए बैंकों द्वारा अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा मुहैया कराई जाने वाली ऋण सुविधाओं का स्व-सहायता समूहों, प्रयोक्ता समूहों, पंचायतों और व्यक्तियों द्वारा लाभ उठाने के बारे में पता लागायेगा और उन्हें प्रोत्साहित करेगा।

41. ग्राम पंचायत जल संग्रहण विकास दल द्वारा संवीक्षित और अनुमोदित तिमाही प्रगति रिपोर्ट परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण को प्रस्तुत करेगी। परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण तिमाही प्रगति रिपोर्टों को राज्य सरकार के माध्यम से भूमि संसाधन विभाग को आगे भेजने हेतु जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण को प्रस्तुत करेगी। जिला स्तर पर जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा। राज्य स्तर पर संबंधित विभाग के सचिव इन परियोजनाओं की नियमित निगरानी करने तथा परियोजनाओं के मध्यावधिक और अन्तिम मूल्यांकन हेतु उत्तरदायी होंगे। भूमि संसाधन विभाग भी जल संग्रहणविकास परियोजनाओं का मूल्यांकन करवाने/प्रभाव संबंधी अध्ययन करवान के लिए स्वतंत्र संस्थाओं/व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है। जिला और राज्य स्तरीय सतर्कता ओर निगरानी समितियाँ भी जल संग्रहण परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर सकती हैं।

जानकारी हेतु पूछताछ

42. आगे जानकारी हेतु निम्नलिखित को लिखें :

- (क) जिला स्तर पर : मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला परिषद/परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण।
- (ख) राज्य स्तर पर : सचिव/आयुक्त/निदेशक, ग्रामीण विकास।
- (ग) राष्ट्रीय स्तर पर : भूमि संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास मंत्रालय, एन.बी.ओ. बिल्डिंग, जी विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011.

(1) जल संग्रहण विकास परियोजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर पर स्वीकृत की जायेगी। वर्तमान दर 6000 रुपये प्रति हैक्टेयर है।

(2) प्रशासनिक व्यय के संबंध में अधिकतम सीमा :

1.	जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के स्तर पर जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों को प्रशिक्षण (10 जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए) (i) एक जल संग्रहण विकास परियोजना के लिए अनुपातिक व्यय (ii) विविध व्यय/जल संग्रहण विकास परियोजना (क) एक जल संग्रहण परियोजना के लिए योग	30,000/- रुपये 3,000/- रुपये 3,000/- रुपये <u>6,000/- रुपये</u>
2.	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण/जल संग्रहण विकास दल के स्तर पर (10 जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए) (i) जल संग्रहण विकास दल के सदस्यों को मानदेय (ii) यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता (iii) कार्यालय कर्मचारी/आकस्मिकताएं 10 जल संग्रहण विकास परियोजनाओं के लिए योग (ख) एक जल संग्रहण परियोजना के लिए व्यय	7,50,000/- रुपये 4,50,000/- रुपये 2,70,000/-रुपये <u>14,70,000/- रुपये</u> 1,47,000/- रुपये
3.	ग्राम स्तर पर स्वयंसेवकों/वन रक्षकों को मानदेय यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता कार्यालय आकस्मिक व्यय (ग) प्रत्येक जल संग्रहण परियोजना के लिए योग	1,20,000/- रुपये 15,000/- रुपये 12,000/- रुपये <u>1,47,000/- रुपये</u>
	500 हैक्टेयर क्षेत्र के प्रति जल संग्रहण के लिए प्रशासनिक कुल व्यय (क,ख,ग) के संबंध में लागत सीमा का कुल योग	3,00,000/- रुपये

**जिला परिषद/जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा परियोजना
कार्यान्वयन अभिकरण (पी.आई.ए.) तथा ग्राम पंचायत को
जारी की जाने वाली परियोजना विधियाँ**

वर्ष	किस्त	प्रतिशत	अभिकरण	प्रतिशत	संघटकों का ब्यौरा	प्रतिशत ब्यौरा
प्रथम	पहली	15%	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत	4% 11%	प्रशासनिक लागत सामुदायिक विकास एवं प्रशिक्षण प्रशासनिक लागत कार्यगत लागत	1% 3% 1% 10%
दूसरा	दूसरी	30%	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत	2% 28%	प्रशासनिक लागत सामुदायिक विकास एवं प्रशिक्षण प्रशासनिक लागत कार्यगत लागत	1% 1% 1% 27%
तीसरा	तीसरी	30%	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत	2% 28%	प्रशासनिक लागत सामुदायिक विकास एवं प्रशिक्षण प्रशासनिक लागत कार्यगत लागत	1% 1% 1% 27%
चौथा	चौथी	15%	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत	1% 14%	प्रशासनिक लागत प्रशासनिक लागत कार्यगत लागत	1% 1% 13%
पाँचवां	पाँचवी	10%	परियोजना कार्यान्वयन अभिकरण ग्राम पंचायत	1% 9%	प्रशासनिक लागत प्रशासनिक लागत कार्यगत लागत	1% 1% 8%

भारत सरकार कृषि मंत्रालय
द्वारा पोषित
राष्ट्रीय जलग्रहण विकास परियोजनाओं
से संबंधित
आदेश/परिपत्र